

प्रेषक

दमकल केन्द्र अधिकारी,
सोनीपत।

सेवा में,

जिलाधीश महोदय,
सोनीपत।

क्रमांक MCS/FS/2020/ 854/PS- दिनांक :- 10.7.2020

विषय :-

Issue of NOC for development of Retail Outlet Situated at Between Rathdhana and Akbarpur Barota/Narela, WML Sonipat Road (ODR), RD 8.000 (LHS) at Village Rathdhana Tehsil Sonipat, Distt. Sonipat(HR)

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 4104-4114/PLA दिनांक 05-03-2020 के सन्दर्भ में।

विषयाधीन मामले में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा प्रस्तावित स्थल का अग्निसुरक्षा की दृष्टी से निरीक्षण किया गया। जहाँ पर प्रार्थी अपना नया पेट्रोल पम्प लगाना चाहता है। यह प्रस्तावित स्थल Rathdhana and Akbarpur Barota/Narela, WML Sonipat Road (ODR), RD 8.000 (LHS) at Village Rathdhana Tehsil Sonipat, Distt. Sonipat(HR) में प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल के पश्चिम दिशा में सड़क व पूर्व, उत्तर व दक्षिण दिशा में कृषि योग्य भूमि है। इस समय प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई एच टी एल टी बिजली के तार नहीं है। किसी भी आपातकालीन के समय फायर ब्रिगेड की गाड़ी आसानी से आ जा सकती है। फर्म को पम्प चलाने के पूर्व मानचित्र में दी गई शर्तों एवं इस विभाग की निम्नलिखित शर्तों की अनुपालना करते हुए। अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

1.ABC type Fire Extinguisher Capacity 9 K.g each ISI mark 6 Nos

2.Co2 type Fire Extinguisher Capacity 4.2K.g ISI mark 1 Nos

3.AFFF(Mechanical Foam) type Fire Extinguisher

Trolley mounted capacity 45 Liter each 2 Nos

4.Fire Bucket of filled with fine sand 4 Nos

5.Display of Emergency Telephone No Board 1 Nos

6.Display of No Smoking Board. 1 Nos

प्रार्थी के द्वारा पेट्रोल पम्प चालू करने से पहले उक्त सुझाये गए अग्नि सुरक्षा प्रबन्ध करके दमकल विभाग सोनीपत से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

Ramphal
10/07/2020
दमकल केन्द्र अधिकारी,

सोनीपत।